



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092022-238786
CG-DL-E-14092022-238786

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4077]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13, 2022/भाद्र 22, 1944

No. 4077]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2022/BHADRA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2022

का. आ. 4258(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. S.O. 2695(E) on dtd 13 th June, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में NH326 के कि.मी. 0 से कि.मी. 3 (धारकोते) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "12.07.2022" को "समाज" और "अनुपम भारत" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में NH326 के कि.मी. 0 से कि.मी.3 (धारकोटे) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: गंजाम		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: धराकोट				
	गांव का नाम: जी. ढऊगां				
1	1	निजी	बिल्ला	0.1007689	श्री नर्मदेश्वर महाप्रभु बीजे अस्का लालगुर्जी :, मार्फत एटी:, बालकृष्ण चौधरी, उदय चौधरी, शशि चौधरी पुत्र: गोवर्धन चौधरी, विप्रचारण चौधरी पुत्र: रघुनत चौधरी, पंचानन चौधरी पुत्र: गोपीनाथ चौधरी जाति: ब्राह्मण बा: अस्का लालगुर्जी (1)
2	2	निजी	बर्षधर	0.0853905	बिजय लक्ष्मी मोहंती व/ओ प्रसन्ना कु मोहंती (2)
	गांव का नाम: पंकलबाडी				
3	1109	निजी	बिल्ला जाला सचित डू फसली	0.0263051	सस्मिता पत्र : प्रभाकर पत्र जाति: ब्राह्मण (1109)
4	1110	निजी	बिल्ला जाला सचित डू फसली	0.0113314	अस्मिता पात्रा पुत्र: प्रभाकर पत्र जाति: ब्राह्मण (1110)
5	1111/3510	सरकारी	नयन ज़ोरी	0.0068798	लोक निर्माण विभाग, ओडिशा सरकार (1111/3510)
			कुल	0.2306757	

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2022

S. O. 4258(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.2695(E) on dtd. 13 th June 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH326 on the stretch of land from Km 0 to Km 3 (Dharakote) in the district of GANJAM in the state of ODISHA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “SAMAJ” and “ANUPAM BHARAT” both dated Newspaper Date;12.07.2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH326 in the stretch of land from NH326 (Dharakote) in the district of GANJAM in the state of ODISHA.

State: ODISHA			District: GANJAM		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Dharakote				
	Village: G. Dhaugaon				
1	1	Private	Billa	0.1007689	Shri Narmadeshwar Mahaprabhu BJ Aska Lalagurji :, Marfat S/O:, Balakrishna Choudhury, Uday Chaudhary, Shashi Chaudhary S/O: Govardhan Chaudhary, Bipracharan Chowdhury S/O: Raghunat Chowdhury, Panchanan Chowdhury S/O: Gopinath Chowdhury CASTE: Brahmin 1
2	2	Private	Barshadhar	0.0853905	Bijaya Laxmi Mohanty w/o prasanna ku mohanty 2
	Village: Pankalabadi				
3	1109	Private	Billa Jala Sechita Do Phasali	0.0263051	Sasmita Patra : Prabhakar Patra Caste: Brahmin 1109
4	1110	Private	Billa Jala Sechita Do Phasali	0.0113314	Sasmita Patra w/o: Prabhakar Patra caste: Brahmin 1110
5	1111/3510	Government	Nayan Zori	0.0068798	Public Works Department, Govt of

					Odisha 1111/3510
			TOTAL	0.2306757	

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3D]

RAJESH GUPTA, Director